

## झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 16 राँची, बुधवार,

9 जनवरी, 2019 (ई॰)

## उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना 9 जनवरी, 2019

संख्या - 4/MRP-11-03/2017-51— झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915, अधिनियम 2, 1915 की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, अधिसूचना संख्या 23-137-2 दिनांक 29 अप्रैल, 1919 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1142 (ए)दिनांक 31 जुलाई, 2004 एवं अधिसूचना संख्या 224/रा॰प॰ दिनांक 4 मार्च, 2009 द्वारा अन्तर्विष्टिनयम 107 (क), जो अधिसूचना संख्या - 04/MRP-11-03/2017-1354 दिनांक 27 जुलाई, 2017 द्वारा संशोधित की गई थी, में निम्न प्रकार संशोधन करती है:-

## <u>संशोधन</u>

होटल, रेस्तराँ, क्लब एवं बार तथा स्वतंत्र बीयर बार एवं क्लब में विभिन्न प्रकार की मदिरा पर परमिट शुल्क निम्न रूपेण वसूलनीय होगा :-

क्र•	मदिरा का प्रकार	परमिट शुल्क
1	भारत निर्मित विदेशी शराब	375 रूपया प्रति LPL
2	बीयर/वाईन	35 रूपया प्रति BL
3	आयातित विदेशी मदिरा	350 रूपया प्रति BL
4	आयातित विदेशी वाईन	250 रूपया प्रति BL

उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

सदस्य, राजस्व पर्षद के आदेश से,

मनोज कुमार, सरकार के अवर सचिव।

-----